UPMT010085942022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित– श्री राजीव भारती, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2953/2022
सौरभ सारस्वत आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

परिवाद संख्या 3257/2022, धारा 406,506,452 भारतीय दण्ड संहिता, थाना हाईवे, जिला मथुरा के अभियुक्तगण **सौरभ सारस्वत एवं वेदप्रकाश सारस्वत** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार परिवादी जितेन्द्र कुमार सारस्वत की शादी दिनांक 28.04.2021 को हिन्दू रीतिरिवाज से सुप्रिया सारस्वत पुत्री वेदप्रकाश सारस्वत के साथ सम्पन्न हुई और शादी से पूर्व अभियुक्तगण सुप्रिया सारस्वत, सौरभ सारस्वत व वेदप्रकाश द्वारा यह छिपाया गया कि, दिनांक 24.02.2019 को सुप्रिया की शादी की अन्य ऐंगेजमेंट गाजियाबाद निवासी अंकुर सारस्वत के साथ हुई थी और सुप्रिया व उसके परिवारीजन ने धोखाधड़ी कर ऐंगेजमेंट को तोड़ दिया था। शादी के मात्र दो माह बाद दिनांक 04.07.2021 को सुप्रिया का भाई सौरभ सारस्वत परिवादी के घर आया और कहा कि, हमारे मामा के यहाँ गृहप्रवेश का प्रोग्राम है, सुप्रिया को हमारे साथ भेज दो और परिवादी को गलत नीयत से उत्प्रेरित कर जेवरात की भी माँग की। परिवादी ने परिवार की इज्जत को देखते हुए सौरभ सारस्वत व सुप्रिया के विश्वास में आकर परिवादी की ओर से सुप्रिया को दिए गए जेवरात सोने का मंगलसूत्र, जंजीर, पेंडिल, कानों के टॉप्स, सोने की दो अँगूठी, अपनी माँ का सोने का कॉलर, चार चूड़ी सोने की व पचास हजार रूपए विश्वास दिलाने व यह कहने पर दे दिए कि, प्रोग्राम से लौटने के बाद सुप्रिया को मय जेवरात वापस भेज देंगे, किन्तु दिनांक 10.07.2021 को प्रोग्राम समाप्त होने के बाद जब सुप्रिया वापस घर नहीं आई और न ही मुल्जिमान ने जेवरात लौटाए तो परिवादी ने उनसे फोन से सम्पर्क किया तो सभी मुल्जिमान टालमटोल करते रहे। परिवादी ने जब फोन व व्हाट्सएप पर सुप्रिया से बात की और घर वापस न आने व जेवर न लौटाने का कारण पूछा तो उसने वापस आने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि, टाइमपास करने को शादी की। दिनांक 31.10.2021 को सुप्रिया का भाई सौरभ व पिता वेदप्रकाश दोपहर एक बजे परिवादी के घर आए और गालीगलौज की व जान से मारने की धमकी दी और कहा कि, आयंदा लड़की भेजने या जेवर लौटाने को कहा तो जान से मार देंगे।

परिवादी द्वारा उक्त समस्त घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु तहरीर थाना हाईवे पर दी गई, किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तब रिपोर्ट दर्ज करवाने की प्रार्थना के साथ न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद रूप में पंजीकृत किया गया और परिवाद की कार्यवाही के दौरान सुप्रिया सारस्वत, सौरभ सारस्वत एवं वेदप्रकाश को अभियुक्तगण के रूप में धारा 406,506,452 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्रों पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि, वे पूर्णतः निर्दोष हैं और उनको झूठा फँसाया गया है, उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व इस

Digitally signed by RAJEEV BHARTI
Date: 2022.08.10 18:24:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPMT010085942022

न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न लगाया है, न खारिज हुआ है और न लम्बित है, परिवाद में वर्णित सभी आरोप असत्य व निराधार हैं और अभियुक्तगण को दबाव बनाने व पेशबंदी में झूठा कथानक बनाकर, झूठा साक्ष्य देकर विचारण हेतु तलब कराया गया है। परिवादी व उसके परिवारीजन शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार की माँग कर सुप्रिया को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित करते रहे हैं, तलाक देने की धमकियाँ देते रहे हैं और उसे मारपीट कर पहने कपड़ों में घर से निकाल दिया है, उसका समस्त स्त्री धन भी अपने पास रख लिया है, समझौते के प्रयास के बावजूद भी परिवादी पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ तो सुप्रिया की ओर से मजबूरी में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी पक्ष को नोटिस भिजवाया गया, जो उन पर तामील हुआ। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वे पूर्व सजायाफ्ता नहीं हैं, परिवादी पक्ष उन्हें वारण्ट जारी कराकर गिरफ्तार कराने की फिराक में है, अतः उन्हें दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण **सौरभ सारस्वत एवं वेदप्रकाश सारस्वत** के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण एवं सह–अभियुक्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग, गृह अतिचार एवं वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी दिया जाना आदि आक्षेपित है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?
(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,

या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

गुरूवख्श सिंह सिविया प्रति स्टेट ऑफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation–––care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against them and to mock at the lagitmate investigation process authorised by law.

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, प्रकरण मूलतः पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है तथा परिवाद की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त पक्ष को विचारण हेतु आहूत किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास

UPMT010085942022

होना भी नहीं बताया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन, दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्तगण नियमित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे,

2– आवेदक/अभियुक्तगण उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे,

3– आवेदक/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेंगे,

4– आवेदक/अभियुक्तगण ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेंगे और उनके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्तगण **सौरभ सारस्वत एवं वेदप्रकाश सारस्वत** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्तगण को उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार किया जाए तो उन्हें मुवलिग 75,000–75,000/– (पिचहत्तर–पिचहत्तर हजार) रूपए की दो–दो स्थानीय जमानतें व व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, नियमानुसार जमानत पर छोड़ दिया जाए।

दिनांक–10.08.2022

(राजीव भारती)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
आई०डी०क्रमांक–6547

अटल राम चतुर्वेदी
व्यक्तिगत सहायक